न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी – श्री हेमराज गुर्जर (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 1389/2020 दायर दिनांक– 24.12.2020

जीसीएमएस– 2020/00410

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
पप्पू पुत्र श्री दिलसुख जाति जाटव हाल निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली		राजस्थान सरकार ,जरिये तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट प्रार्थी

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ अप्रार्थी

–:निर्णय :–

दिनांक :–15.04.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि खाता सं0 403 पुराना खाता सं0 355 के अनुसार आराजी ख0न0 2308 रकवा 0.72 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 में दर्ज किया है कि प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र दिलसुख है, तथा प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पू है, तथा परिवार राशन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम पप्पू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में कहा है कि प्रार्थी को गॉव में प्यार से उसके भाई व परिवारजन रामकिशन नाम से भी पुकारते हैं इसलिए प्रार्थी का नाम उसके भाईयों ने राजस्व रिकॉर्ड में रामकिशन पुत्र दिलसुख दर्ज करवा दिया था। और इसी कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड खाता सं0 नया 403 व पुराना खाता सं0355 में ख0न0 2308 रकवा 0.72 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में रामकिशन पुत्र दिलसुख हो गया है , जो कि गलत नाम है।

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम पप्पू पुत्र दिलसुख है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का बोलता घर का बोलता नाम दिलसुख गलती से दर्ज हो गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण करते हुए रामकिशन पुत्र दिलसुख के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पप्पू पुत्र दिलसुख दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी दिनांक 23.11.2020 को पटवारी हल्का के पास अपनी जमाबंदी की नकल निकलवाने के लिए पटवारी हल्का ढिंढोरा गया और प्रार्थी ने पटवारी हल्का से के.सी.सी लोन के लिए जमाबंदी की नकल देने को कहा, तो पटवारी हल्का ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में तम्हारा नाम रामकिशन पुत्र दिलसुख दर्ज है। अब उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए गलत नाम का पता चला। इस पर प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी नकल निकलवायी। और इसके बाद प्रार्थी तहसीलदार सूरौठ के यहॉ दिनांक 24.11.2020 को गया , तो तहसीलदार से उक्त संशोधन नाम का करवाने को निवदन किया तो तहसीलदार सूरौठ ने सक्षम अदालत से आदेश लेकर आने को कहा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना–पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि विनाय दावा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी दिनांक 23.11.2020 को पटवारी हल्का ढिंढोरा नकल के लिए जाने पर पटवारी हल्का द्वारा इस मद में वर्णित बात कहने व दिनांक 24.11.2020 को इस मद में वर्णित बात तहसीलदारजी सूरौठ द्वारा कहने से वमुकाम ढिंढोरा तहसील सूरौठ उत्पन्न हुयी है, तथा दावा हाजा अंदर अवधि पेश है।

प्रार्थना– पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि बलिहाज पैदा होने बिनाय दावा, व विवादित भूमि ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में होने से एवं विवादित कृषि लगानी भूमि होने से दावा हाजा की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी बावत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार कर डिकी किया जाकर आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र खाता सं0 355 के ख0न0 2308 रकवा 0.72 है0 बाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में प्रार्थी का नाम जो गलती से रामकिशन पुत्र दिलसुख दर्ज हो गया है, उसे हजफ कर उसके स्थान सही नाम पप्पू पुत्र दिलसुख दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण दर्ज कर दिया जावें। दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी साबित हो वह भी अ[illegible] जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार [illegible]लदार सूरौठ ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम ढिंढोरा के खाता सं0 403 के खसरा सं0 2308 रकवा 0.72 है0 किस्म नहरी–1 रामकिशन पुत्र दिलसुख हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा. देह दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जबाव प्राथना पत्र के मद नं0 2 में ग्राम ढिंढोरा के नामान्तकरण संख्या 250 रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 03.12.1993 के अनुसार खसरा नं0 2308 रकवा 0.72 है0 किस्म नहरी–1 रामकिशन पुत्र दिलसुख जाति जाटव सा. देह स्वीकार हुआ है, जो मुताबिक विकय पत्र सही है। नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति व संवत 2047 की जमाबन्दी संलग्न है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में प्रार्थी अपना नाम रामकिशन पुत्र दिलसुख के स्थान पर अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार व राशन कार्ड के आधार पर पप्पू पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी भोंटवाडा तहसील टोडाभीम करवाना चाहता है।

रिपोर्ट तहसीलदार सूरौठ के अनुसार नामान्तकरण संख्या 250 विकय पत्र दिनांक 03.12.1993 से कमशः पप्पू पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी भोंटवाडा तहसील टोडाभीम के बजाय रामकिशन पुत्र दिलसुख जाति जाटव सा.देह स्वीकार हुआ है। नियमानुसार उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती के अन्तर्गत नहीं आता है। उक्त दावा प्रथमदृष्ट्या ही खारिज योग्य है। पैरोकार सरकार का जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 साबिक खसरा नम्बर 2308 रकबा 0.72 है0, साबिक नम्बर, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ग्राम पंचायत किरवाडा का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत ढिंढोरा का प्रमाण पत्र एवं पचास रूपये का नॉनजूडीशियल शपथ पत्र की प्रतियॉ पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी साबिक खसरा नम्बर 2308 रकबा 0.72 है0, की खातेदारी रामकिशन पुत्र दिलसुख जाति जाटव सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 2308 रकवा 0.72 है0, जो रजिस्टर्ड विकय–पत्र के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सही कायम किये जाना प्रतीत होने के कारण एवं रजिस्टर्ड विकय–पत्र में ही आवेदक द्वारा दिनांक 03.12.1993 को रामकिशन पुत्र दिलसुख जाति जाटव सा.देह तस्दीक कराने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा नं0 2308 रकवा 0.72 है0, स्थित ग्राम ढिंढोरा, पटवार हल्का ढिंढोरा, तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 15.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 15.04.24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner